विल[illegible]

(75)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्र0क0 एक / विविध / सागर / भू.रा. / 2018 /

विविध-2715/2018/सागर/भू.रा

1–अनंदी लाल पुत्र हल्के प्रसाद
निवासी वार्ड क0 3 रहली तहसील
जिला सागर म0प्र0

2–रिशी केशव पुत्र देव शंकर
निवासी वार्ड क0 9 रहली तहसील
जिला सागर म0प्र0

3–अब्दुल रफीक गनी पुत्र अब्दुल गनी
निवासी 'शनीचरी टौरी सागर

श्री मती रजनी वशिष्ठ द्वारा 3/5/18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 8.5.18 नियत।
क्लर्क ऑफ कोर्ट 3.5.18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

R.V
3/5/18

––आवेदकगण

विरूद्ध

1– पंकज गोस्वामी (Applied for Deletion)

2–संदीप कुमार पुत्र रामशंकर तिवारी
निवासी वार्ड क0 3 रहली तहसील
जिला सागर म0प्र0

––– अनावेदकगण

विविध आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 32 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 धारा के विरूद्ध मान0 उच्च न्यायालय के रिट पिटीशन कमांक 12799 / 12, 13032 / 12, 13341 / 12 के आदेशानुसार पुनः सुनवाई करने बावत।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक विविध-2715/2018/सागर/भू.रा. **अनंदीलाल विरूद्ध पंकज**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21-12-20 18	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री सुनील सिंह जादौन उपस्थित । माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा रिट पिटीशन क्रमांक 12799/12, 13032/12, 13341/12 में दिनांक 03-04-2018 को आदेश पारित कर पूर्व में इस न्यायालय के द्वारा प्रकरण क्रमांक निगरानी 497-दो/2012 में पारित आदेश दिनांक 26-06-2012 को निरस्त कर प्रकरण में पुन: सुनवाई के आदेश दिये गये है । माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में प्रकरण में पुन: सुनवाई आरम्भ की गई । प्रकरण क्रमांक निगरानी- 497/दो/2012 में आवेदक (संदीप) द्वारा कलेक्टर सागर के प्रकरण क्रमांक 16 अ/112/2010-11 में पारित आदेश दिनांक 30-12-2011 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 560 के तहत पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी । 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता सशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – "1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।"	

4. कलेक्टर के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित संभागीय आयुक्त है । अतः उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर आयुक्त सागर संभाग सागर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।

5. अतः उक्त नवीन संशाधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग सागर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 24-01-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

21.12.18

(आर.के. जैन)
सदस्य